न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :-अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या -05/2012

बनाम

अपीलकर्ता		उत्तरदाता
1. श्रीमती दौलत कंवर पत्नि बलवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी रामसर तहसील रामसर।	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत रामसर। 2. रघुनाथ सिंह पुत्र बलवन्त सिंह 3. छैलसिंह पुत्र बलवन्त सिंह 4. वर्तमान ग्राम पंचायत रामसर। 5. तहसीलदार रामसर। 6. उप पंजीयक रामसर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 18.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा नोपाटिया पटवार हल्का बबुगुलेरिया तहसील रामसर के खसरा संख्या 19 वर्तमान में खेत खसरा संख्या 53/19 व 55/19 कुल रकबा 116.19 बीघा आयी हुई है। विवादित आराजी खसरा संख्या 19 में वक्त सेटलमेन्ट के समय अपीलाण्ट के ससुर सतीदानसिंह पुत्र पीरदानसिंह का कब्जा व काश्त होने से उनके नाम से पर्चा लगान जारी किया गया। अपीलाण्ट के पति बलवन्तसिंह का देहान्त उसके ससुर के देहान्त से 02 वर्ष पूर्व दिनांक 20.08.1977 को हो गया था तथा सतीदानसिंह का देहान्त दो वर्ष बाद दिनांक 11.12.1979 को हुआ। सतीदानसिंह की फोत होने पर फौतगी का नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 10.05.1980 में स्वीकृत कर भरा गया जो उत्तरदाता गण संख्या 2 व 3 तथा गिरधरसिंह ने हल्का पटवारी व उत्तरदाता संख्या 1 से मिलकर मृतक सतीदानसिंह के वारिश मात्र उत्तरदाता संख्या 2 व 3 तथा गिरधरसिंह को बताकर नामान्तकरण करवा दिया। बाद में गिरधरसिंह लाऔलाद फोत होने से उत्तरदाता संख्या 2 व 3 के नाम नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 16.05.1990 को पारित किया गया। जबकि अपीलाण्ट स्व. बलवन्त सिंह की विवाहित धर्मपत्नि है। वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा तथा गिरधरसिंह फोत होने पर 1/3 हिस्सा पैतृक खातेदारी की है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 10.05.1980 तथा नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 16.05.1990 को निरस्त कर हेतु उक्त अपील दिनांक 02.11.2012 को दर्ज अपीलाण्ट का हिस्सा दर्ज करने हेतु रजिस्टर की गई। उत्तरदातागण सम्मन तामिल बाद उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब का अवसर बंद किया गया।

अपीलाण्ट के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। समस्त विधिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर मौजा नोपाटिया पटवार हल्का बबुगुलेरिया तहसील रामसर के खसरा संख्या 19 वर्तमान में खेत खसरा संख्या 53/19 व 55/19 कुल रकबा 116.19 बीघा में नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 10.05.1980 तथा नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 16.05.1990 को अपास्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा तथा गिरधरसिंह फोत होने पर 1/3 हिस्सा हिस्सा घोषित करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक : रीडर/2024/1086-89 दिनांक 18/3/24

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर
2. सरपंच ग्राम पंचायत रामसर।
3. अपीलकर्ता श्रीमती दौलत कंवर पत्नि बलवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी रामसर तहसील रामसर।
4. उत्तरदातागण रघुनाथ सिंह पत्र बलवन्त सिंह वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर